

24

संख्या-59/111-2/06-60(प्र.आ.)/05

3923

प्रेषक. 5-ए.ए.
टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 03 (तीन) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

देहरादून, दिनांक 2, सितम्बर, 2006

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 03 कार्यों के रुपये 356.40 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी इतनी ही धनराशि रुपये 356.40 लाख (रुपये तीन करोड़ छपन्न लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार तीन कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-05 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 0.15 हजार (रु० पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारों से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, दिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारों से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

निर्माण कार्य के अन्त में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लो जाय तथा उपर्युक्त सभी बातें ध्यानपूर्वक प्रयोग में लायी जाय।

संख्या-59/111-2/06-60(प्र.आ.)/05 द्वारा निर्मित शासं०-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अगस्त 2005 एवं उनके द्वारा समक्ष-2 निर्गत निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

दाया 518/2006

Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bauhari New Town
मोराड़ी, नई टिहरी (दिलगो)

दाया 518/2006

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० दि० वि०
मोराड़ी, नई टिहरी, (दिलगो)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कच्चा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कच्चा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा रही है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
13. व्यय करने से पूर्व जिस योजना में बजट अनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त वस्तुओं को प्रशासकीय वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
14. आशामी किस्त तब ही जमा की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी करत अवमुक्त की जायेगी।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं सन्तुष्टता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासनादेश सं० 2047/XIV-219/(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जायेगा।
17. इस संबंध में होने वाला वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-500 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 जय सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-458/XXVII(2)/2006 दिनांक 31 अगस्त, 2006 में प्रकाशित उनकी राहगति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-03 कार्यों की सूची।

भववीर

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

संख्या-59 (1)/111-2/06, तदनुसार दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), राज्य मॉडर्न बिल्डिंग भाजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल जिला।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, जिला।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल जिला।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना आयोग, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
9. वित्त अनुभाग-1/वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।

Assistant Engineer

Provincial Division, P.W.D.

Dehra Dun, New Tehri

आज्ञा से।

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

2867/114/2019/06
(28) 5

शासनादेश संख्या- 59/111(2)/06-60(प्रा.आ.)/05 दिनांक 2, सितम्बर, 2006 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की स्वीकृति
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कड़ियाल गांव से चन्दवदनी मोटर मार्ग का निर्माण	13.00	210.60	210.60	0.05
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणीघार में कन्धाली से नैखरी मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.05
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणीघार में वी.आई.पी. प्रथम से कोण्ड, डिवनू, विलखगांव मार्ग का निर्माण कार्य	4.00	64.80	64.80	0.05
	योग-	22.00	356.40	356.40	0.15

(घनराशि लाख रुपये में)

(रुपये पन्द्रह हजार मात्र)

(टी.ए.सी. वित्त)
संयुक्त सचिव।

क्रमांक 2856/10044-म.स. दिनांक 16/9/06

आवेदनकर्ता को ज्ञात है कि जल संचयन योजना के अन्तर्गत

जल संचयन योजना के अन्तर्गत जल संचयन योजना के अन्तर्गत

क्रमांक 2867/114/2019/06 दिनांक 22/9/06
आवेदनकर्ता को ज्ञात है कि जल संचयन योजना के अन्तर्गत

आवेदनकर्ता को ज्ञात है कि जल संचयन योजना के अन्तर्गत
27वां वित्त वर्ष 2006-07 में व्यय की स्वीकृति

आवेदनकर्ता को ज्ञात है कि जल संचयन योजना के अन्तर्गत

आवेदनकर्ता को ज्ञात है कि जल संचयन योजना के अन्तर्गत
Provincial Division P.W.D.
Gaurhari, New Tehri